"[illegible] पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 अगस्त 2010— श्रावण 29, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2010

क्रमांक एफ-1-7/2002/1-7.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21-07-2009 द्वारा श्रीमती निर्मला सिंह, (सेवानिवृत्त) सीनियर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को विभागीय जांच आयुक्त के पद पर 01 वर्ष के लिये संविदा नियुक्ति प्रदान की गई थी. राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती सिंह की संविदा नियुक्ति अवधि में 02 वर्ष (दिनांक 21-07-2010 से 20-7-2012 तक) की वृद्धि प्रदान करता है. शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी.

2. यह सहमति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 367/सी. एन./26793/बजट-5/ वित्त/चार 2010, दिनांक 20-07-2010 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. सोनी, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2010

क्रमांक / एफ 1/12/दो गृह/भापुसे/2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ध्रुव गुप्ता, भा. पु. से., पुलिस अधीक्षक, कोरिया (छ. ग.) को पारिवारिक कार्यवश गृहनगर जाने हेतु दिनांक 09-08-2010 से 26-08-2010 तक कुल 18 दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 08-08-2010 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री ध्रुव गुप्ता, भापुसे. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री डी. एल. मनहर, रा. पु. से., सेनानी 6 वीं वाहिनी, छ. स. बल, रायगढ़ (छ. ग.) को सौंपा जाता है.

3. श्री ध्रुव गुप्ता, भापुसे. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री ध्रुव गुप्ता, भा. पु. से., पुलिस अधीक्षक, कोरिया (छ. ग.) के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ध्रुव गुप्ता, भा. पु. से., पुलिस अधीक्षक, कोरिया (छ. ग.) अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एल. लिखार, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन. टी. पी. सी. कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम. पी./3799 को दिनांक 22-08-2010 से 31-03-2011 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :-

1. संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 कि अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पि. रमेष कुमार, सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 1-5/2000/आजावि.—वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 (क) एवं उपधारा 14 (8) में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 20-07-2010 को छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की संयोजित सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा मो. सलीम अशरफी को बोर्ड का सभापति निर्वाचित किया गया है, जिसकी एतद्द्वारा घोषणा की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप सचिव.

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2010

क्रमांक 6348/एफ 2-2/2009/19/स्था-1.—छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग, प्रमुख अभियंता और मुख्य अभियंता भरती तथा सेवा शर्तें नियम, 1983 के नियम 6 (1) के अनुसार "अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिये अधीक्षण अभियंता के पद पर सेवा अवधि कम से कम 5 वर्ष का प्रावधान है."

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये एतद्द्वारा "अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु अधीक्षण अभियंता की न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की अर्हता अवधि की शर्त को शिथिल करते हुये यह सेवा अवधि 3 वर्ष करता है."

3. यह शिथिलीकरण वर्ष 2010 में होने वाली डी. पी. सी. के लिए केवल एक बार प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2010

क्रमांक-एफ-5-8/दो/आठ-परि./2009.—राज्य शासन एतद्द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 उपधारा (3) के खण्ड (ग-क) के अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा मंजिली गाड़ियों के संचालन हेतु निम्नानुसार सम्पूर्ण मार्ग या उसके भाग के लिए विनिश्चतकरण (Route Formulation) करती है :-

क्र. (1)	कहां से कहां तक (2)	व्हाया (3)
1.	बीजापुर से फरसेगढ़ (52.00 कि. मी.)	नैमेड़, गुदमा, कुटरू

(1)	(2)	(3)
2.	बीजापुर से तोयनार (20.00 कि. मी.)	धनोरा
3.	बीजापुर से मट्टीमार्का (20.00 कि. मी.)	मद्देड़, भोपालपटनम
4.	बीजापुर से गंगालूर (24.40 कि. मी.)	
5.	बीजापुर से बेदरे (60.00 कि. मी.)	नैमेड़, गुदमा, कुटरू
6.	बीजापुर से इममिड़ी (41.00 कि. मी.)	आवापल्ली
7.	बीजापुर से बासागुड़ा (48.00 कि. मी.)	आवापल्ली
8.	बीजापुर से उसूर (43.00 कि. मी.)	आवापल्ली
9.	बीजापुर से सिंरोचा (117.00 कि. मी.)	मद्देड़, भोपालपटनम, तिमेड़
10.	बीजापुर से व्येंकटापुरम (116.00 कि. मी.)	तारलागुड़ा
11.	बीजापुर से मिरतुर (80.00 कि. मी.)	नेसलनार
12.	बीजापुर से बारसूर (108.00 कि. मी.)	नैमेड़, भैरमगढ़, गीदम
13.	बीजापुर से कुटरू (54.00 कि. मी.)	तोयनार, फरेसगढ़
14.	जगदलपुर से उमरकोट (उड़ीसा) (75.00 कि. मी.)	आसना, सरगीपाल, राजनगर, बकावण्ड, फरसीगांव, बनियागांव, जैतगिरी, सौतपुर, करपावण्ड, धनपुर, कोलावल.
15.	जगदलपुर से बकावण्ड (50.00 कि. मी.)	धोबीगुड़ा, इरिकपाल, मालगांव, करीतगांव, चितालूर, पाइकपाल
16.	जगदलपुर से उमरकोट (उड़ीसा) (80.00 कि. मी.)	आसना, बोरपदर, पंडानार, मूली, करंजी-बोरीगांव, मंगनार, करपावण्ड, कोलावल.
17.	बस्तर से करपावण्ड (50.00 कि. मी.)	भिरलिंगा, चोलनागर, रामपाल, राजनगर, बकावण्ड, जैतगिरी, सौतपुर, बड़े देवड़ा, मंगनार.

(1)	(2)	(3)
18.	जगदलपुर से भानपुरी (74.00 कि. मी.)	आसना, सरगीपाल, राजनगर, बकावण्ड, सितलावण्ड, सोनपुर, डिमरापाल, जैबेल, गारेंगा, तुरपुरा, केशरपाल, मुरकुची, विश्रामपुरी.
19.	जगदलपुर से रायकोट (35.00 कि. मी.)	धरमपुरा, अघनपुर, कुम्हरावण्ड, करंजी, देउरगांव, पोटानार, रानसरगीपाल, सालेपाल, कुरूसपाल.
20.	जगदलपुर से जाटम (75.00 कि. मी.)	करकापाल, आड़ावल, बिलोरी, पोड़ागुड़ा, कुरंदी, धनियालूर, पुसपाल, कैकागढ़ - नानगुर, नेतानार, मिलकुलावाड़ा, नागलसर, काकरवाड़ा, जामावाड़ा, जांटम.
21.	केशकाल से माकड़ी (95.00 कि. मी.)	बहीगांव, पिपरा, माकोडीखरगांव, कोपरा, छोटेराजपुर, बड़ेराजपुर, आमगांव, लिहागांव, बालेंगा, बासकोट, हल्दा, तितिरखण्ड, गम्हारी, मगेंदा आटेण्डा, भिरण्डा.
22.	कोण्डागांव से बस्तर (85.00 कि. मी.)	डोंगरीगुड़ा, चिपावण्ड, अभरावती, हिरलाभाट, बड़साहेगा, छिनारी, बिजोली, छतोड़ी, पाथरी, संतोसा, जैबेल, तुरपुरा, केशरपाल.
23.	कोण्डागांव से बयानार (45.00 कि. मी.)	किवई, बालेंगा, खरगांव, चिमड़ी, नरिहा
24.	नरहरपुर से सुरही (60.00 कि. मी.)	बेसर, मुसुरकुट्टा, कोटलभट्टी, दुधवा, जामगांव, आमापारा, भनसुली
25.	पंखाजूर से रेंगावाही (49.00 कि. मी.)	सोहनार, उदयपुर, आड़ाफरसी, गौरीशंकरनगर, जनकपुर, शांतिपुर, बलीलगढ़, बेलगांव, विवेकनगर, चितरंजन नगर, खण्डी, छोटेबेटिया, आकमेटा, बेलोण्डी, घोड़ाघाट, मरबेड़ा.
26.	पंखाजूर से खैरकट्टा (23.00 कि. मी.)	सत्यनंदपुर, हरनगढ़, श्रीनगर, छोटेकापसी, विश्रामपुर, आलोर, शारदानगर, देवपुर, रामनगर.
27.	बांदे से पानावार (पंखाजूर) (13.00 कि. मी.)	साबेर, पिण्डकसा, कुरेनार, मौसमटोला
28.	बांदे से इरपानार (पंखाजूर) (25.00 कि. मी.)	साबेर, पिण्डकसा, कुरेनार, कन्हारगांव, विकासपल्ली
29.	रेंगावाही से दुर्ग (पंखाजूर) (273.00 कि. मी.)	मरबेड़ा, घोड़ाघाट, बेलोड़ा, आकमेटा, छोटेबेटिया, धरमपुर, खण्डी, बेलगाल, जनकपुर, मरोड़ा, फुरफन्दी, आड़ाफर्सी, उदयपुर, सोहगांव, पंखाजूर, छोटेकापसी, बड़े कापसी, बड़गांव, दुर्गकोंदल, भानुप्रतापपुर.
30.	नरहर से नगरी (60.00 कि. मी.)	सुरही, भनसुली, आमापारा, जामगांव, दुधावा, कोटलभट्टी, मुसुरपुट्टा, बेलर
31.	दंतेवाड़ा से बीजापुर (27.00 कि. मी.)	फरसपाल
32.	दंतेवाड़ा से गीदम (15.00 कि. मी.)	बालपेट

(1)	(2)	(3)
33.	दंतेवाड़ा से समेली (45.00 कि. मी.)	नकुलनार, पालनार
34.	कुआंकोण्डा से किरन्दुल (31.00 कि. मी.)	नकुलनार, सामगिरी
35	दंतेवाड़ा से बड़ेगुडरा (45.00 कि. मी.)	हड़मामुण्डा
36.	दंतेवाड़ा से बड़ेगुडरा (36.00 कि. मी.)	नकुलनार, कुआंकोण्डा, हल्बारास
37.	दंतेवाड़ा से सुकमा (142.00 कि. मी.)	फटेकल्याण, दरभा, तोंगपाल, छिन्दगढ़
38.	नारायणपुर से सोनपुर (28.00 कि. मी.)	-
39.	नारायणपुर से एड़का (09 कि. मी.)	-
40.	जगदलपुर से सरगीपाल (75.00 कि. मी.)	बकावण्ड, करपावण्ड, कोलावल, उमरकोट (उड़ीसा)
41.	जगदलपुर से धोबीगुड़ा (50.00 कि. मी.)	मालगांव, करितंगांव, पाइकपाल, तारापुर, बजावण्ड, नलपावण्ड, कुसमी, भेजरीपदर, बकावण्ड.
42.	जगदलपुर से बोरपदर (80.00 कि. मी.)	किंजोली, मूली, बोरीगांव, करपावण्ड, कोलावल, उमरकोट (उड़ीसा)
43.	बस्तर से बकावण्ड (50.00 कि. मी.)	गिरोला, जैतगिरी, करपावण्ड
44.	जगदलपुर से बकावण्ड (74.00 कि. मी.)	करपावण्ड, जैबेल, केशरपाल, भानपुरी
45.	जगदलपुर से करंजी (35.00 कि. मी.)	पोटानार, रानसरगीपाल, सालेपाल, कुरूसपाल, रायकोट
46.	जगदलपुर से आड़ावाल (75.00 कि. मी.)	बिलौरी, करकापाल, घोडागुड़ा, कैकागढ़, नानगूर, नेतानार, बडेमुरमा, मिलकुलवाड़ा, नागलसर, काकरवाड़ा, जामावाडा, जाटम, जगदलपुर.
47.	बहीगांव से पिपरा (95.00 कि. मी.)	कोपरा, बड़ेराजपुर, बांसकोट, बालेंगा, गम्हरी, माकड़ी
48.	कोंडागांव से अमरावती (85.00 कि. मी.)	बिजोली, छिनारी, छतोड़ी, केशरपाल, बस्तर, जैबेल

(1)	(2)	(3)
49.	कोंडागांव से बयानार (45.00 कि मी.)	बयानार से कोण्डागांव
50.	दुर्ग से जशपुर	रायपुर, सरायपाली, सारंगढ़, रायगढ़, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, लुडेग, बागबहार, पड़रीपानी, फरसाबहार, तपकरा, कुनकुरी.
51.	रायपुर से जशपुर	सिमगा, बिलासपुर, शक्ति, चांपा, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, लुडेग, बागबहार, पड़रीपानी, फरसाबहार, तपकरा, कुनकुरी.
52.	वाड्रफनगर से रायपुर	प्रतापपुर, जरही, लटोरी, अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर, तारा, कटघोरा, रतनपुर, बिलासपुर, सिमगा.
53.	सारंगढ़ से नवागढ़	केरा, बिरा, सरसींवा
54.	सारंगढ़ से ढेंगाकोट	पठारीपाली, छिंद
55.	नवापारा से सरायपाली	सारंगढ़, कनकबीरा
56.	धुता से गिधौरी	सारंगढ़, सरसींवा, भटगांव, बिलाईगढ
57.	अमझर से गिधौरी	गोडम, सारंगढ़, सरसींवा, भटगांव, बिलाईगढ़
58.	साल्हेओना से गिधौरी	चन्द्रपुर, सारंगढ़, सरसींवा, गिधौरी
59.	रेंगारपाली से सारंगढ़	पुसौर, भंडार, चन्द्रपुर, गोडम
60.	सारंगढ़ से चाम्पा	चन्द्रपुर, डभरा, नरियरा, बिर्रा
61.	नवागढ़ से सारंगढ़	केरा, बिर्रा, नरियरा, चन्द्रपुर
62.	सरसींवा से जांजगीर	नरियरा, बिर्रा, चाम्पा
63.	सारंगढ़ से जांजगीर	सरसींवा, नरियरा, बिर्रा
64.	बोकीमोंगरा से चन्द्रपुर	कोरबा, चाम्पा, बिर्रा, नरियरा, डभरा
65.	दीपका से सारंगढ़	कोरबा, चाम्पा, बिर्रा, नरियरा, सरसींवा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. मरावी, सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2010

क्रमांक/2754/डी-15/239/2005/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 के नियम 12 के उप-नियम (3) के उपबंधों के अनुसार मतदाता सूची का पुनरीक्षण मण्डी समिति का निर्वाचन, निर्वाचन आयोग द्वारा "पंचायत निर्वाचन" की घोषणा के कारण संभव नहीं हो सका, इसलिए कृषक सदस्यों/महिला कृषक सदस्यों के रिक्त पदों का निर्वाचन नहीं किया जा सका. अत: राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57-क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नलिखित सूचीबद्ध मण्डी समितियों के उप-निर्वाचन को आगामी मण्डी चुनाव तक के लिए स्थगित करता है :-

स. क्र.	मण्डी का नाम	पदाधिकारी का नाम	रिक्तता का कारण	रिक्तता दिनांक	मण्डी समिति की विधिमान्यता/ कार्यकाल की अंतिम तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कृषि उपज मण्डी समिति, कुरूद.	श्री दिनेश कुमार जाटव, कृषक सदस्य.	शिक्षाकर्मी के रूप में नियुक्ति के कारण त्यागपत्र.	22-01-2009	27-02-2011
2.	कृषि उपज मण्डी समिति, कुरूद.	श्री जगदीश, कृषक सदस्य.	दिनांक 01-09-2009 को निधन.	01-09-2009	27-02-2011
3.	कृषि उपज मण्डी समिति, कोटा.	श्रीमती कुसुम नाग	पद के दुरुपयोग के कारण प्रबंध संचालक द्वारा पदच्युत.	03-06-2008	12-03-2011
4.	कृषि उपज मण्डी समिति, कोटा.	श्री साधुराम, कृषक सदस्य.	शिक्षाकर्मी के रूप में नियुक्ति के कारण त्यागपत्र.	18-06-2009	12-03-2011
5.	कृषि उपज मण्डी समिति, बीजापुर.	श्री जिलाराम/पाण्डु जागला, कृषक सदस्य.	नक्सलियों द्वारा हत्या	18-07-2008	12-03-2011
6.	कृषि उपज मण्डी समिति, बरमकेला.	श्रीमती राधिका पटेल, महिला सदस्य.	दिनांक 09-01-2008 को निधन.	09-01-2008	27-02-2011
7.	कृषि उपज मण्डी समिति, चारामा.	सुश्री कचंरा बाई, कृषक सदस्य.	दिनांक 29-12-2008 को दुर्घटना से निधन.	29-12-2008	05-03-2011
8.	कृषि उपज मण्डी समिति, जांजगीर-चाम्पा.	श्री दयाशंकर सदस्य.	दिनांक 22-03-2008 को निधन.	22-03-2008	02-06-2011
9.	कृषि उपज मण्डी समिति, भाटापारा	श्री चंदराम वर्मा, कृषक सदस्य.	दिनांक 08-02-2009 को निधन.	08-02-2009	01-03-2011
10.	कृषि उपज मण्डी समिति, लोरमी.	सुश्री तितरीबाई, कृषक सदस्य.	दिनांक 11-05-2008 को निधन.	11-05-2008	12-03-2011

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2010

क्रमांक /2754/डी-15/239/2005/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में छ. ग. कृषि उपज मंडी (मंडी समिति का निर्वाचन) 1997 की अधिसूचना क्रमांक 2754 दिनांक 06-08-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप सचिव.

Raipur, the 6th August 2010

No./2756/D-15/239/2005/14-2.— In exercise of the powers conferred by Section 57-A of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) and the provision of sub-rule (3) of Rule 12 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Mandi Samiti Ka Nirvachan) Rules, 1997, the revision of voter list and election of Market Committee could not be possible, due to declaration of "Panchayat Election" by Election Commission, hence the election of the vacant posts of the farmer members/women farmer could not be held. So the State Government, hereby, postpone the Bye-election of the following listed Market Committees till next Market Committee Election :-

S. No. (1)	Name of Mandi (2)	Name of office bearer (3)	Reason of vacancy (4)	Date on which the post vacant (5)	Last date of validity of Mandi Samiti (6)
1.	Krishi Upaj Market Committee, Kurud.	Shree Dinesh Kumar Jataw, Farmer Member.	Resigned due to appointment as Shiksha Karmi.	22-01-2009	27-02-2011
2.	Krishi Upaj Market Committee, Kurud.	Shree Jagdish Farmer Member.	Expired on dated 01-09-2009.	01-09-2009	27-02-2011
3.	Krishi Upaj Market Committee, Kota.	Miss Kusum Nag	Dismissed by Managing Director due to misuse of post.	03-06-2008	12-03-2011
4.	Krishi Upaj Market Committee, Kota.	Shree Sadhuram Farmer Member.	Resigned due to appointment as Shiksha Karmi.	18-06-2009	12-03-2011
5.	Krishi Upaj Market Committee, Bijapur.	Shree Jilaram Pandu Jagala Farmer Member.	Murdered by Naxalite.	18-07-2008	12-03-2011
6.	Krishi Upaj Market Committee, Barmkela.	Miss Radhika Patel Women Member.	Expired on dated 09-01-2008.	09-01-2008	27-02-2011
7.	Krishi Upaj Market Committee, Charama.	Miss Kchara Bai, Farmer Member.	Expired due to accident on dated 29-12-2008.	29-12-2008	05-03-2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Krishi Upaj Market Committee, Janjgir-Champa.	Shree Dyasankar Farmer Member.	Expired on dated 22-03-2008.	22-03-2008	02-06-2011
9.	Krishi Upaj Market Committee, Bhatapara.	Shree Chandram Farmer Member.	Expired on dated 08-02-2009.	08-02-2009	01-03-2011
10.	Krishi Upaj Market Committee, Lormi.	Miss Titri Bai Farmer Member.	Expired on dated 11-05-2008.	11-05-2008	12-03-2011

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 15 अप्रैल 2010

क्रमांक/670/अ-82/वर्ष 09-2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	खर्रा प. ह. नं. 25	0.43	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	भनसुली व्यपवर्तन योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 4 अगस्त 2010

क्रमांक /63/अ. वि. अ./भू-अर्जन/06 अ/82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	गुंडरूडीह प. ह. नं. 04	2.24	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ. ग.)	कोडार जलाशय परियोजना के परसाडीह वितरक नहर निर्माण हेतु.

प्लान (नक्शा) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 31 जुलाई 2010

क्रमांक /5112/भू-अर्जन/कले./2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	डूमरपानी	1.33	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग उत्तर बस्तर कांकेर.	बिरनपुर तालाब निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. खाखा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 27 जुलाई 2010

रा. प्र. क्र./02/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजनगर	तेजपुर	2.51	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर जिला-सरगुजा (छ. ग.)	गुड़घेला डायवर्सन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 जुलाई 2010

रा. प्र. क्र./36/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	ओड़गी	रैसरी	5.40	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर जिला-सरगुजा (छ. ग.)	चेन्द्रा जलाशय के अन्तर्गत बायीं तट मुख्य नहर एवं शाखा नहर के निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 26 जुलाई 2010

रा. प्र. क्र./03/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैंकुण्ठपुर	भरभोका	2.11	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर जिला-सरगुजा (छ. ग.)	गुड़घेला डायवर्सन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 26 जुलाई 2010

रा. प्र. क्र./04/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम,1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचनां दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	छिन्दिया	8.87	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर जिला-सरगुजा (छ. ग.)	गुड़घेला डायवर्सन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 26 जुलाई 2010

रा. प्र. क्र./05/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	तेन्दुआ	1.39	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर जिला-सरगुजा (छ. ग.)	गुड़घेला डायवर्सन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु सैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 35/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	मौहांपाली प. ह. नं. 20	0.287	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ+स) संभाग, रायगढ़	लोईंग मौहापाली जामगांव मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 2 अगस्त 2010

क्रमांक/1620/अ. भू-अ.प्र./04/अ-82/वर्ष 2009-10.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-धमधा

(ग) नगर/ग्राम-दनिया, प.ह. नं. 26

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.29 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	583	0.19
	584	0.10
योग	2	0.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :- नंनकठी दनिया बोरी पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 14 जून 2010

रा. प्र. क्र. 17 अ/82 वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-स. लोहारा

(ग) नगर/ग्राम-पीपरटोला छोटे, प. ह. नं. 50

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.851 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1/1	0.050
	1/2	0.038
	1/3	0.088
	1/4	0.286
	28	0.200
	48/2	0.063
	27/6	0.020
	2/2	0.122
	2/3	0.149
	57/1	0.384
	57/2	0.032
	48/1	0.134
	47	0.126
	59/1	0.106
	59/4	0.53
योग	15	1.851 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट परियोजना के तहत बायीं तट नहर की उपशाखा निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. संगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 27 जुलाई 2010

रा. प्र. क्र./02/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-रामानुजनगर

(ग) ग्राम-तेजपुर, प. ह. नं.-59

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.51 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2	0.15
3	0.14
4	0.02
5	0.32
8	0.10
9	0.44
10	0.07
47	0.14
49	0.27
50	0.01
51	0.14
52	0.08
53	0.18
55	0.28
56	0.04
66	0.13
योग 16	2.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुड़घेला डायवर्सन योजना.

(3) भूमि के नक्शे, (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्या. अंबिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 जुलाई 2010

रा. प्र. क्र./6/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-ओड़गी

(ग) ग्राम-रैसरी, प. ह. नं.-07

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.40 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
28	0.17
29	0.05
30	0.05
31	0.07
32	0.07
402	0.40
455	0.07
456	0.15
462	0.17
465	0.02
466	0.03
467	0.06
468	0.05
469	0.07
471	0.13
472	0.10
488	0.02
490	0.11
491	0.42
496	0.17
497	0.02
499	0.07
500	0.02
501	0.06

(1)	(2)
503	0.03
504	0.01
522/1	0.01
624	0.12
625	0.02
642/1	0.03
642/2	0.08
642/3	0.03
642/6	0.03
646	0.15
648	0.04
649	0.11
650/1	0.22
651	0.15
652	0.01
659	0.01
607	0.10
661/1	0.14
661/2	0.14
676	0.12
713	0.02
717	0.14
718	0.23
720	0.12
721	0.15
722/1	0.09
722/2	0.22
828	0.18
833	0.04
834	0.07
502/858	0.03
योग 55	5.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चेन्द्रा जलाशय के अंतर्गत बायीं तट मुख्य नहर एवं शाखा नहर के निर्माण बाबत्.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 26 जुलाई 2010

रा. प्र. क्र. / 03/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला - कोरिया
- (ख) तहसील - बैकुण्ठपुर
- (ग) ग्राम - सरभोका, प. ह. नं. -16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.11 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1039/1	1.33
1039/2	0.48
1040	0.30.
योग 03	2.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुड़घेला डायवर्सन योजना.

(3) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 26 जुलाई 2010

रा. प्र. क्र. /04/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला - कोरिया
- (ख) तहसील -बैकुण्ठपुर
- (ग) ग्राम - छिन्दिया, प. ह. नं. - 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 8.87 हेक्टेयर

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - कोरिया

(ख) तहसील -बैकण्ठपुर

(ग) ग्राम - छिन्दिया, प. ह. नं. - 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.87 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3160	0.12
3161	0.67
3162	0.06
3170	0.14
3171	0.14
3173	0.73
3179	0.28
3180	0.10
3181	0.03
3182	0.03
3183	0.03
3184	0.03
3185	0.62
3186	0.25
3187	0.51
3188	0.05
3348	0.57
3349	0.15
3350	0.13
3351	0.96
3352	0.07
3365	0.37
3366	0.23
3367/1	0.06
3367/2	0.07
3368	0.14
3369	0.16
3370	0.30
3371	0.90
3372	0.22
3373	0.16
3374	0.22
3378	0.37
योग 33	8.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुड़घेला डायवर्सन योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 26 जुलाई 2010

रा. प्र. क्र. /05/अ-82/2009-10-.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - कोरिया

(ख) तहसील - बैकुण्ठपुर

(ग) ग्राम - तेन्दुआ, प. ह. नं. - 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.39 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1155	0.09
1167	0.08
1169	0.03
1174	0.08
1175	0.06
1176	0.24
1180	0.28
1181	0.08
1182/1	0.08
1182/2	0.14
1182/3	0.07
1183	0.16
योग 12	1.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुड़घेला डायवर्सन योजना.

(3) भूमि के नक्शे, (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन सरगुजा एवं कोरिया, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋतु सैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अतिरिक्त तहसीलदार (आबकारी), रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2009

क्रमांक/आब./बकाया/2009/3630.— सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है कि आबकारी विभाग, जिला रायपुर के निम्नांकित बकायादार के नाम से उनके नाम के सामने दर्शाई गई राशि की वसूली की जाना है. अत: उनकी चल/अचल सम्पत्ति के बारे में विज्ञप्ति प्रकाशन के 1 माह के भीतर जानकारी देकर शासकीय राशि की वसूली में सहयोग दें.

क्र.	रा. मा. क्र.	बकायादार का नाम	नाम दुकान	बकाया वर्ष	बकाया राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2/बी/96/2002-03	श्री अंगद तिवारी वल्द गजानंद तिवारी	पी. एस. 3 दुकान रायपुर जिला समूह	2002-2003	4,37,500/-

वाय. मेश्राम,
अति. तहसीलदार.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 30th July 2010

No. 271/L. G./2010/II-2-13/2009.— Shri Gautam Chouradiya, District & Sessions Judge, Janjgir-Champa is hereby granted earned leave for 08 days from 04-08-2010 to 11-08-2010 along with permission to remain out of head quarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chouradiya, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240+07 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA Additional Registrar.

बिलासपुर, दिनांक 30 जुलाई 2010

क्रमांक 243/दो-2-13/2007.—श्री नूरदीन तिगाला, एडीशनल रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 03-07-2010 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 2 अगस्त 2010

क्रमांक 245/दो-3-10/2000.—श्री संदीप बख्शी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 09-07-2010 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.